

कार्यालय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), देवीपाटन मण्डल।

पत्रांक : शि०स०/ 5003 - 10

/2024-25

दिनांक 21 जनवरी 2025

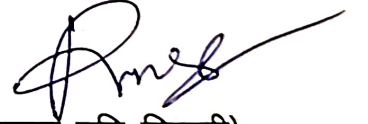
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती।

विषय : दिनांक 23.01.2025 को मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-03/2025/151/तीस-3-2025 (ई 1074524) परिवहन अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 20.01.2025 जो समस्त मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सम्बोधित है, जिस पर आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर दिनांक 23 जनवरी 2025 को प्रत्येक जनपद में पूर्वान्ह 11.00 बजे से कक्षा कक्षा-8 से 12 तक समस्त विद्यालयों के छात्रों एवं उच्च शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ मानव श्रृंखला में सम्मिलित कराते हुए सड़क सुरक्षा शपथ दिलाया जाने के सम्बन्ध में प्रेषित है उक्त मानव श्रृंखला में सड़क सुरक्षा के समस्त स्टेक होल्डर विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों, एन.जी.ओ., स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट गाइड इत्यादि के प्रतिनिधियों की सहभागिता की सुनिश्चित की जानी है।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर जनपद अन्तर्गत परिवहन विभाग से समन्वयक स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जागरूक किये जाने हेतु अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक : उक्तवत्।

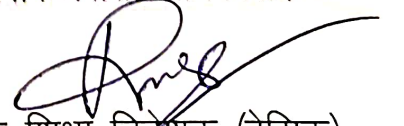


(राम सागर पति त्रिपाठी)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. समस्त जिलाधिकारी, देवीपाटन मण्डल।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, देवीपाटन मण्डल।
4. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अनुपालनार्थ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।



सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) सगराज गण्डलायुक्त, 30401

(2) समस्त जिलाधिकारी, 30401

परिचयन अनुभाग-3

तखनऊ : दिनांक : 26 जनवरी, 2025

विषय दिनांक 23.01.2025 को मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के संबंध में।

अवगत कराना है कि सड़क सुरक्षा के प्रति आमजनमानस में जागरूकता लाने

के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर दिनांक 23 जनवरी 2025 को प्रत्येक जनपद में पूर्वान् 11.00 बजे कक्षा 8 से 12 तक के समस्त

विद्यालयों के छात्रों एवं उच्च शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ मानव श्रृंखला में

सम्मिलित कराते हुए सड़क सुरक्षा शपथ दिलाया जाना है। उक्त मानव श्रृंखला में सड़क सुरक्षा के समस्त स्ट्रेक होल्डर विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों, एन0जी0ओ0, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, स्काउट गाइड इत्यादि के प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी है।

2. उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटना में 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के 51 प्रतिशत से अधिक युवाओं की मृत्यु हो रही है। इसके साथ ही दुपहिया वाहन चालक भी सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। ऐसी दशा में छात्रों एवं युवाओं को जागरूक किया जाना नितान्त आवश्यक है।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मानव श्रृंखला में प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विद्यालयों के अधिकाधिक छात्रों तथा समस्त स्ट्रेक होल्डर विभागों के कर्मियों द्वारा अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करायी जानी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त समस्त विद्यालयों से लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को मानव श्रृंखला में सम्मिलित कराते हुए समस्त प्रतिभागी सड़क सुरक्षा शपथ भी ग्रहण करेंगे। मानव श्रृंखला का निर्माण प्रत्येक जनपद में एक स्थान पर विशालकाय सड़क सुरक्षा के चिन्हों (हेल्मेट, सड़क सुरक्षा मस्कट, ट्रैफिक लाइट, इत्यादि) की स्थायी/कनवर्टिबल प्रतिकृति बनाते हुये

चिया जा सकता है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जागरूक किचे जाने हेतु अधिवाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए भानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शयथ ग्रहण समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक कराने का काष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Manoj Kumar Singh

Date: 18-01-2025 11:33:32

मुख्य एवं दिनांक यथोक्त।

पतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/ वैसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/आवकारी/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/यातायात, उ०प्र०।
4. निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उ०प्र०।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, थूमीडा/सीडा/उपशा ।
6. प्रमुख अभियंता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र०।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
9. निदेशक, वैसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
12. आयुक्त आवकारी, उ०प्र०।
13. क्षेत्रीय अधिकारी(पूर्वी/पश्चिमी), एन०एच०ए०आई०, उ०प्र०।
14. परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
15. प्रवध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र० (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।)
17. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/प्रवर्तन/राजस्व/आई०टी०) (द्वारा परिवहन